न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
99/2025	21.07.2025	27.02.2026

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

उनवान निर्मला बाई उर्फ रानी पुत्री रामपाल पत्नी पप्पू जाति बैरवा निवासी ऐबरा हाल निवासी बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 53 पर 7 किता की 5–00 हेक्टर भूमि वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का 3/160 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न है।

खसरा नम्बर 4 की 2–31 हेक्टर
खसरा नम्बर 5 की 0–44 हेक्टर
खसरा नम्बर 6 की 0–30 हेक्टर
खसरा नम्बर 13 की 0–38 हेक्टर
खसरा नम्बर 14 की 0–59 हेक्टर
खसरा नम्बर 15 की 0–48 हेक्टर
खसरा नम्बर 16 की 0–50 हेक्टर
कुल 7 किता की 5–00 हेक्टर

यह कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 14 पर निम्न 12 किता की 11–04 हेक्टर भूमि वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

है। जिसमें वादनी का 3/80 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 संलग्न है।

खसरा नम्बर 21 की 0–31 हेक्टर
खसरा नम्बर 48 की 0–60 हेक्टर
खसरा नम्बर 49 की 0–95 हेक्टर
खसरा नम्बर 50 की 1–55 हेक्टर
खसरा नम्बर 110 की 1–56 हेक्टर
खसरा नम्बर 119 की 1–17 हेक्टर
खसरा नम्बर 128 की 0–34 हेक्टर
खसरा नम्बर 129 की 0–52 हेक्टर
खसरा नम्बर 132 की 2–42 हेक्टर
खसरा नम्बर 177 की 0–40 हेक्टर
खसरा नम्बर 255 की 0–55 हेक्टर
खसरा नम्बर 256 की 0–67 हेक्टर
कुल 12 किता की 11–04 हेक्टर

यह कि उपरोक्त भूमि में पूर्व में वादनी के पिता रामपाल जी का हिस्सा दर्ज था उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर वादनी व अन्य वारिसान का नाम दर्ज हुआ। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम निर्मला बाई के स्थान पर रानी दर्ज हो गया जो गलत है। यह कि बादनी का नाम निर्मला बाई है वादनी के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में वादनी का नाम निर्मला बाई दर्ज है। इस कारण रानी पुत्री रामपाल के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री रामपाल अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में अंकित वादनी का नाम ष्रानीष के स्थान पर निर्मला बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 10.06.2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये– कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 53 पर दर्ज खसरा नम्बर 4 की 2.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 की 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 की 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 की 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 की 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 16 की 0.50 हेक्टर कुल 7 किता की 5.00 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ''रानी पुत्री रामपाल'' के स्थान पर ''निर्मला पुत्री रामपाल '' दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये। कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 14 पर दर्ज खसरा नम्बर 21 की 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 की 1.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 110 की 1.56 हेक्टर, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

119 की 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 की 0.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 की 2.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 177 की 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 की 0.55 हैक्टर खसरा नम्बर 0.67 है0 कुल 12 किता रकबा 11.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ''रानी पुत्री रामपाल'' के स्थान पर ''निर्मला पुत्री रामपाल '' दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी सन् 2076–2079 वाके ग्राम ऐबरा
2– नकल आधार कार्ड
6– नकल जनाआधार कार्ड
7– नकल राशनकार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में उक्त आराजी में रानी पुत्री रामपाल को निर्मला बाई पुत्री रामपाल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम एक ही महिला के है। वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रकरण में जवाब सहमति पूरक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण साक्ष्य ली गयी। वादी साक्ष्य में **PW-1** सरमा आत्मज रामपाल का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की सहमति पूर्वक होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 53 पर दर्ज खसरा नम्बर 4 की 2–31 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 की 0–30 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 की 0–38 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 की 0–59 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 की 0–48 हेक्टर, खसरा नम्बर 16 की 0–50 हेक्टर कुल 7 किता की 5–00 हेक्टर तथा ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 14 पर दर्ज खसरा नम्बर 21 की 0–31 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0–60 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 की 0–95 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 की 1–55 हेक्टर, खसरा नम्बर 110 की 1–56 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 की 1–17 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 0–34 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 की 0–52 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 की 2–42 हेक्टर, खसरा नम्बर 177 की 0–40 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 की 0.55 हैक्टर खसरा नम्बर 0.67 है0 कुल 12 किता रकबा 11.04 है0 भूमि में वादनी का नाम ''रानी पुत्री रामपाल'' के स्थान पर '' रानी उर्फ निर्मला पुत्री रामपाल '' दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 महावीर सुमन आत्मज हरिप्रकाश उस वर्ष जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादी

वादीगण की और से :— श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :—

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 आर.टी.एक्ट</u>
<u>मिसल नं 99/2019</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 53 पर दर्ज खसरा नम्बर 4 की 2—31 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 की 0—44 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 की 0—30 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 की 0—38 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 की 0—59 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 की 0—48 हेक्टर, खसरा नम्बर 16 की 0—50 हेक्टर कुल 7 किता की 5—00 हेक्टर तथा ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं0 14 पर दर्ज खसरा नम्बर 21 की 0—31 हेक्टर, खसरा नम्बर 48 की 0—60 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 की 0—95 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 की 1—55 हेक्टर, खसरा नम्बर 110 की 1—56 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 की 1—17 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 0—34 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 की 0—52 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 की 2—42 हेक्टर, खसरा नम्बर 177 की 0—40 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 की 0.55 हैक्टर खसरा नम्बर 0.67 है0 कुल 12 किता रकबा 11.04 है0 भूमि में वादनी का नाम ''रानी पुत्री रामपाल'' के स्थान पर '' रानी उर्फ निर्मला पुत्री रामपाल '' दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद